अधिसूचना संख्या 210/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1997(ई), **दिनांक 20-7-2015**

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 627(ई) दिनांक 12.03.2013 द्वारा, केंद्र सरकार ने क्रम संख्या 20 पर "शेयर सोसाइटी टू हील एड रिस्टोर एजुकेट, सोलिटेयर कॉरपोरेट पार्क बिल्डिंग नंबर 5, 7वीं मंजिल, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093, महाराष्ट्र" द्वारा "मौजूदा स्वच्छता, सिंचाई और स्वास्थ्य परियोजना प्रशिक्षण केंद्र का विस्तार" को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 16.66 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के 3 वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए निर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा "मौजूदा स्वच्छता, सिंचाई और स्वास्थ्य परियोजना प्रशिक्षण केन्द्र का विस्तार" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जिसे "शेयर सोसाइटी टू हील एड रिस्टोर एजुकेट, सोलिटेयर कॉरपोरेट पार्क बिल्डिंग नं. 5, 7वीं मंजिल, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400093, महाराष्ट्र" द्वारा अनुमोदित लागत 16.66 करोड़ रुपये में किसी परिवर्तन के बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

■■